

## FORM NO.111

फर्द अहकाम




(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

हरिराम बनाम ग्यारसा वगै०

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर:- 42/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम को पत्र हुक्म को तारीख को जारी हुये
13.07.2020	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री दीपक बाजिया एड. ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकले जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 21.07.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
21-7-20	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल चेकर नष्टे लीटे-ई। पत्रावली तामिल पत्रावली दिनांक 06-08-2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
06.08.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री राजकुमार सैनी एडवोकेट उपस्थित आये। प्रकरण में श्री राजकुमार सैनी एड. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण को विद्वा करने का पेश कर उक्त प्रकरण को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण को विद्वा किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारीज किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	

